

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3-36/2015/18-5
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

- 1. कलेक्टर,
जिला इंदौर
- 2. संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,
इंदौर ।
- 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत इंदौर
- 4. आयुक्त
नगर निगम इंदौर ।

6/16/TC
22/6/15

विषय :-इंदौर विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत।

राज्य शासन ने इंदौर विकास योजना 2021 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्था कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें। यथापरि

संचालनालय	संयुक्त
नगर तथा ग्राम निवेश	
आयक क्र 828	
दिनांक 22/6/15	
शाखा TC	

1
(एस के मुद्गल)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
भोपाल दिनांक 15/6 /2015

क्रमांक एफ 3-36/2015/18-5
प्रतिलिपि :-

आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

22.6.15
ADM(S)

(एस के मुद्गल)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
22/6/15

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय


विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 15-6- /2015

क्रमांक-एफ-3-36/2015/18-5 :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट इन्दौर विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची


क्र.	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ग्राम बड़ा बागडंदा	321 (पार्ट), 322(पार्ट), 324(पार्ट), 694(पार्ट), 680(पार्ट), 681(पार्ट), एवं 682(पार्ट) एवं 316/3/2(पार्ट), 320(पार्ट), 322(पार्ट), 695(पार्ट), 698(पार्ट), 696(पार्ट), 697(पार्ट), 692(पार्ट), 693(पार्ट) एवं 682(पार्ट)	1.008 हे० 1.118 हे०	18 मीटर चौड़ा मार्ग आवासीय	आवासीय 18 मीटर चौड़ा मार्ग शर्तें- विकास योजना का प्रश्नाधीन 18 मीटर चौड़े मार्ग परिवर्तित रेखाकन पश्चात् सार्वजनिक मार्ग रहेगा।
		योग-	2.126 हे०		



प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।


प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(एस.के.मुदगल)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

 नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Environment Department
MINISTRY

Notice for modification in development Plan

Bhopal, Dated 15-6-15


No. F-3-36/15/18-5 :: In exercise of the Powers Conferred by Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhinyam, 1973 (No.1 of 2012), The State Government hereby notify the proposal of following modifications for public information, in the Indore Development Plan 2021 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No.	Village	Khasara No.	Area (in hec)	Land use specified in the development plan	Modified land use after modifications
1	2	3	4	5	6
1.	Gram-Bada Bangarda	321(Part),322(Part), 324(Part),694(Part), 680(Part),681(Part), 682(Part). and 316 / 3 / 2(Part), 320(Part),322(Part), 695(Part),698(Part), 696(Part),697(Part), 692(Part),693(Part), and 682(Part).	1.008 hec. 1.118 hec.	18 mt wide road Residential	Residential 18 mt wide road Condition - 18 mts wide road of Development Plan shall be of public use after change of alignment.
		Total	2.126 hec.		

Details of the proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Joint Director, Town and Country Planning, Indore as well as on the web site. www.mptownplan.nic.in for a period of 15 days from the date of publication of this notice. Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Environment Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,



(S.K. Mudgal)

Deputy Secretary

Government of Madhya Pradesh

Urban Development And

Environment Department

12/12/18